

9/9/22

पत्रावली 1श हुई। वकील वादों उ गस्थत के ही।
पक्षकारान वकील रूप है। पूर्व आदशा नुस
पत्रावली दि 13/10/22 देखें।



13/10/2022

पत्रावली घेया हुई वकील पक्षकारान
हानिकर नहीं है पत्रावली दिनांक
18-08-2022 से तलबी में विचारधन
है वकील काशे द्वारा परिवारधन की
तलबी करवामे हेतु तलबना वीधिस
पेशा नहीं हुए है। अतः पत्रावली
अदम काशी व तलबी अभाव में
अंतर्गत 0-9, R-3 CPC व 0-9, R-5
CPC के तहत एादु द्वारा खारिज की
जाती है पत्रावली फेसल सुनार होकर
नकर से वक्त की जाकर काशील
हफ्तर है। अपेक्षा खुले न्यायालय
में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर
व न्यायालय सुनार से जारी किया
जाया।

सहायक कलेक्टर
सांभर लोक (जयपुर)

